

Sela Dhamliganga - Pithoragarh
Dhol Bening

आदेश.

राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-1887/XVIII (II)/2015-18(169) / 2015 दिनांक 30.07.2015 एवं वित्त (वे.आ.-सा.नि.) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-111/XXVIII(7)50(39)-15 / 2015 दिनांक 09.07.2015 में निहित प्राविधानों के आधार पर जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला अन्तर्गत धौलीगंगा में पुल निर्माण हेतु ग्राम सेला, पट्टी दुर्गतू तहसील धारचूला के गैर ज.वि. खतौनी संख्या-21 श्रेणी-9(3)ड वंजर काविल आवाद के खेत नम्बर 395 मध्ये रकवा 0.165 है० एवं खेत नम्बर 399 रकवा 0.175 है० कुल 02 खेतों 0.340 है० राज्य भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260 / वित्त अनुभाग-3 / 2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों तथा विश्व बैंक वृत्त लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड के सहमति दिनांक 28.08.2015 के ग्राम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन विश्व बैंक वृत्त लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8. प्रश्नगत नॉन जेड.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस.एल.पी.)/ सी संख्या-3109/ 2011 श्री जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-436/2011@SLP (C) NO.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा10 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः उक्तनुसार स्वीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामांतरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

दिनांक दिसम्बर ३०, २०१५

जिलाधिकारी, ५८
पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या-२०८८/ सात-२४/ 2015-16

दिनांक दिसम्बर ३०, 2015

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
 2. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग अस्कोट।
 3. उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
 4. तहसीलदार पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कर प्रत्यावक विभाग के नाम हरतान्तरण एवं नामान्तरण उपरान्त अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, खसरे की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

जिलाधिकारी, ३०/१२/२०१५
पिथौरागढ़।